

RCM/2016/0004

3/7/18

3/7/18



3/7/18

पक्षावकी पेरा हुई। वकील पक्षकारान  
 उपस्थित। वकील अफीलावर ने प्रकरण  
 आगे नहीं चलाने से Not press में  
 श्वारिज किया जाये का विवेक किया।  
 वकील रिपोर्टिंग को कोई आपत्ति नहीं  
 होना चाहिए किया। अतः वकील अफीलावर  
 द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाने से  
 Not press में श्वारिज किया जाता है।  
 पक्षावकी कैमल शुभा होकर मन्व  
 से कम है।

Not Press  
 Case  
 A2W cotc